

36 (38)

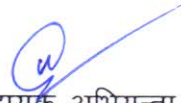
परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में विनायक रिखाड कोटियाग मोटर मार्ग का निर्माण

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

 अमीन
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

 कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

 सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

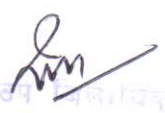
 अधिशासी अभियन्ता, I,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

 पटवारी
सिगोली

पटवारी

 तहसीलदार भिकियाखण्ड
अल्मोड़ा

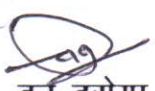
तहसीलदार

 उपजिलाधिकारी
(अल्मोड़ा)

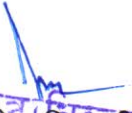
उपजिलाधिकारी

 प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी

 वन दरोगा

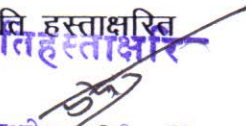
वन दरोगा

 वन क्षेत्राधिकारी
द्वाराहाट

वन क्षेत्राधिकारी

 वन प्रमाणीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वनाधिकारी

 प्रति हस्ताक्षरित
प्रमाणित वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रमाणित वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा